208

-1-

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.
कैम्प, सागर म.प्र.

1. मदन गोपाल बल्द श्री नंदकिशोर सोनी
2. गोविंददास बल्द नंदकिशोर सोनी
निवासी पृथ्वीपुर तह0 पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़

... अपीलार्थीगण

।। बनाम।।

1. म.प्र. शासन
द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ म.प्र.
2. तहसीलदार, पृथ्वीपुर ... प्रतिअपीलार्थीगण

अपील अंतर्गत धारा 44(2) म.प्र. भू.रा. संहिता 1959

अपीलार्थीगण न्यायालयश्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के रा.प.पु. 656बी/121वर्ष 2012-13 में पारित आदेश दि0 13.04.2016 से परिवेदित होकर नीचे लिखे आधारों एवं तथ्यों में अपील प्रस्तुत करते है :-

1- यहकि, अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ के पु0क0 114बी/121 वर्ष 2011-12 में पारित आदेश दि0 01.06.15 विधि-विधान, वाक्यात एवं पत्रावली एवं मौके की स्थिति सर्वथा विपरीत पारित होने के कारण किसी भी स्थिति में स्थिर रहे जाने योग्य ना होने से निरस्ती योग्य था परन्तु विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने ऐसा ना करगंभीर त्रुटि की है।

2- यहकि, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अधूरा, अस्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश नही है जिसमे बोलते हुए आदेश के आवश्यक तत्वों का अभाव होने एवं शीघ्रता में बिना समुचित जांच परीक्षण अथवा पक्षकारो से दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा में बिना समुचित जांचपरीक्षण अ0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 1725/I/16 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-5-16	1— आवेदक के अधिवक्ता राजेश सेन उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अपर कमिश्नर सागर संभाग सागर के प्रकरण क्र. 656/बी—121/2014—15 में पारित आदेश दि० 13—04—2016 के विरूद्ध म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि, आवेदकगण द्वारा दो रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर खसरा नंबर 1094 क्रय कर अधिपत्य प्राप्त किया था जिसका नामांतरण किए जाने के उपरांत भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त कर मकान का निर्माण प्रारंभ किया जिस पर पड़ौसी द्वारा आपत्ति किए जाने पर आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की जाकर तहसीलदार पृथ्वीपुर प्रकरण क्रमांक 64/अ—68/2014—15 दर्ज किया गया जिसमें आवेदकगणों की उपस्थिति उपरांत विधिवत भवन निर्माण अनुमति एवं अधिपत्य के आधार धारा 248 के तहत अतिक्रमक की श्रेणी में न आने से तहसीलदार पृथ्वीपुर द्वारा दिनांक 26.08.15 को प्रकरण नस्तीवद्ध करते हुए कार्यवाही समाप्त की। किंतु कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा बिना किसी विश्लेषण एवं सुनवाई के आवेदक के विरूद्ध प्रश्नाधीन आदेश के तहत एफ.आई. आर. दर्ज करने का दूषित आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्ध आवेदकगणों द्वारा अपील अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उसे आग्राह्य किए जाने से पारित आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि आवेदक के विरूद्ध अन्य व्यक्तियों द्वारा कुएँ के विवाद पर अनेक कार्यवाहियॉं प्रस्तावित की थी जबकि खसरा नंबर 1094 की प्रश्नाधीन भूमि एवं उसमें निर्मित कुआ आवेदक के अधिपत्य की भूमि है जिसके संबंध में शिकायतकर्ताओं द्वारा व्यवहार न्यायधीश वर्ग 1 के समक्ष अपना राजीनामा करते हुए प्रकरण का निराकरण किया है तथा तहसीलदार पृथ्वीपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी द्वारा आवेदक को अतिक्रमक न मानते हुए आवेदक के पक्ष में प्रकरण का निराकरण किया	

[क्र. प. उ.

निग० 1275 I/16 (टीकमगढ़)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है। इसके उपरांत भी कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा आवेदक के विरूद्ध अतिश्योक्ति में आदेश पारित किया है अतएव उन्होंने कलेक्टर टीकमगढ़ एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा प्रश्नगत आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। 4— आवेदक अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश में आवेदक के विरूद्ध प्रश्नगत कार्यवाही किए जाने का कोई भी आधार उल्लेखित नहीं किया हैं न ही आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रतीत होता है। इसी प्रकार अपर आयुक्त सागर द्वारा भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में बिना किसी व्याख्या के अत्यन्त संक्षिप्त रूप से कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है, आवेदक अधिवक्ता द्वारा व्यवहार न्यायधीश वर्ग—1 निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के समक्ष समझौता आवेदन के आधार पर निराकृत आदेश की प्रतियां प्रस्तुत की है। जो राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार पृथ्वीपुर द्वारा आदेश दिनांक 26.08.2015 में आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि पर भवन निर्माण के पूर्व नगर पंचायत से नक्शा अनुमोदन एवं अनुमति उपरांत निर्माण किया जाना मान्य करते हुए उसे अतिक्रमक की श्रेणी में नहीं माना है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दि. 01.06.15 वैद्य नहीं पाता हूँ। 5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2016 एवं कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनॉक 01.06.2015 निरस्त करते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	